

पत्र संख्या-आई0टी0/जी0एस0टी0/सी0एस0सी0- (2017-18) /

592

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(आई0टी0 अनुभाग)

दिनांक // लखनऊ // जुलाई, 06 2017


समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के पत्र संख्या-568 दिनांक 30-06-2017 से अर्बन एरिया में स्थित CSC सेन्टर (मुख्यतय: जिला व तहसील स्तर) की सूचना सत्यापन के पश्चात निर्धारित प्रारूप में माँगी गयी थी। कतिपय जोन्स द्वारा यह सूचना बिना सत्यापन के भेजी गयी है जबकि अधिकांश जोनों से अभी भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जबकि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना था।

प्रश्नगत पत्र के क्रम में CSC तथा NSDL सेन्टर्स की सूचना सत्यापन के पश्चात निर्धारित प्रारूप में Excel Sheet में ई-मेल ctithqlu-up@nic.in पर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में यह भी अपेक्षित है कि अर्बन क्षेत्र के सभी CSC सेन्टर को GST में Registration, Migration, Return Payment आदि का प्रशिक्षण कराते हुए यह प्रमाण पत्र दे दिया जाये कि यह केन्द्र वाणिज्य कर विभाग से प्रशिक्षित है एवं CSC केन्द्र द्वारा इस आशय का बोर्ड भी लगा लिया जाये कि उनके द्वारा GST के सम्बन्ध में आनलाइन सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।



(आन्जनेय कुमार सिंह)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।